उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर–24, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
Website- trti.cg.gov.in Ph. 0771- 296053Fax 0771- 2960531 E mail – triraipur0771@gmail.com

प्रकरण क्र./छास/अजा/234/2025–26/6186 नवा रायपुर अटल नगर, दिनाँक 26/02/2026

श्री के.के. कटारे
मुख्य अभियंता
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना छ.ग.
ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण विकास भवन, सिविल लाईन रायपुर (छ.ग.)

–: आदेश :–

(दिनाँक 23/02/2026)

सिविल अपील क्रमांक 5854/1994 दिनाँक 02.09.1994 कु. माधुरी पाटिल बनाम एडीशनल कमिश्नर ट्रायबल डेव्हलपमेंट एवं अन्य (AIR 1995 SC 94) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिये गये मार्गदर्शी निर्देश एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 में विहित प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना क्र.एफ.13–23/2012/आ.प्र./1–3 दिनाँक–21 फरवरी 2018 को अधिक्रमित करते हुए दिनांक 09/07/2024 को राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 07 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का पुनगर्ठन किया गया है। **माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार समिति का स्टेटस क्वासी ज्यूडीशियल है।**

जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी आदेश दिनांक 06.12.2007 को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक F–13–3/2007/1–3, नया रायपुर, दिनाक 30 मार्च 2013 द्वारा अतिष्ठित कर माननीय न्यायालय, राज्य शासन एवं जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र सत्यापन समितियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को अनुशंसित प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों की जांच विहित रीति से करने हेतु जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति (छ.ग.) गठित की गई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि शिकायतकर्ता श्री विरेन्द्र बोरकर, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के पत्र दिनांक 02.11.2017 एवं शिकायतकर्ता श्री विजय मिश्रा के द्वारा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को संबोधित पत्र दिनांक 10.11.2017, 16.08.2024, 05.02.2024 एवं 14.07.2025 तथा कार्यालय मंत्री छ.ग. शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्रालय महानदी भवन के पत्र दिनांक 22.07.2025 भी प्राप्त हुआ। अतः समिति द्वारा श्री के.के. कटारे, मुख्य अभियंता के जाति प्रमाण पत्र की जांच प्रकरण पर नियमानुसार जांच कार्यवाही प्रारंभ की गई।

सत्यापित

शिकायतकर्ता श्री विजय मिश्रा के द्वारा शिकायती पत्र के साथ धारक श्री के.के. कटारे के सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश की सूचना पत्र, नियुक्ति आदेश एवं हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर में दायर WP No. 3060/2003 का संदर्भ देते हुए आदेश पारित दिनांक 11.11.2014 में स्पष्ट किया गया है कि– HEAD NOTE- ST candidate of other State including State of MP is not entitled to claim benefit of reservation on the post reserved for ST in the State of CG संलग्न प्राप्त हुआ है।

3. जिला समिति के पत्र दिनांक 28.05.2025 के माध्यम से उक्त प्रकरण से संबंधित उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति से प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी प्रदाय करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ।

उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में समिति द्वारा दिनांक 16.07.2025 के माध्यम से छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 के नियम 18 में विहित प्रावधानों के तहत जिला स्तरीय सत्यापन समिति 03 माह की अनधिक अवधि में सुनवाई पूर्ण करेगी तथा जहाँ समिति की राय हो कि प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्वक या कपट पूर्वक अभिप्राप्त किया गया प्रतीत होता है तो नियम 20 के अधीन छानबीन समिति को मूल प्रमाण–पत्र सहित सुसंगत दस्तावेज तथा अपने निष्कर्ष के साथ जांच के लिए अग्रेषित करेगी। उक्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी एवं जांच प्रतिवेदन के साथ मूल प्रकरण छानबीन समिति को उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

उक्त पत्र के जवाब में जिला स्तरीय सत्यापन समिति रायपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 21/07/2025 के माध्यम से जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 14/07/2025 निर्णय उपरांत श्री के.के. कटारे, अविभाजित मध्यप्रदेश के बटवारे में छत्तीसगढ़ में आये है, चूंकि उनका मूल निवास तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र का है तथा नायब तहसीलदार जिला बालाघाट मध्यप्रदेश दिनांक 11/07/1978 को **खटिक अनुसूचित जाति** का प्रस्तुत किया गया है। अतः जिला समिति के उक्त पत्र के माध्यम से श्री के.के काटरे का जाति संबंधी प्रकरण समिति को मूलतः प्राप्त हुआ।

4. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णय दिनांक 19.08.2010 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सिविल अपील कमांक 5854/1994 कु० माधुरी पाटिल एवं अन्य बनाम एडीशनल कमिश्नर, ट्रायबल डेव्हलपमेंट एवं अन्य तथा सिविल अपील कमांक 4545/95 डायरेक्टर, ट्रायबल वेलफेयर आंध्रप्रदेश बनाम लावेती गिरी एवं अन्य में दिये गये दिशा–निर्देश तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के परिपालन में छानबीन समिति द्वारा कार्यालयीन पत्र दिनांक 23.07.2025 के माध्यम से प्रकरण को विस्तृत अन्वेषण उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु विजिलेंस सेल को सौंपा गया। प्रकरण के अन्वेषण उपरांत उप–पुलिस अधीक्षक विजिलेंस सेल के द्वारा अपने पत्र दिनांक 16/12/2025 के माध्यम से प्रकरण का अन्वेषण प्रतिवेदन छानबीन समिति को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्तुत अन्वेषण प्रतिवेदन में निम्नांकित तथ्य उल्लेखित :–

1. जांच के अनुक्रम में प्राप्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण सिविल लाईंस रायपुर के पत्र क्रमांक /7788/छगग्रासविअ/2018 रायपुर दिनांक 12.07.2018 से स्पष्ट है कि धारक के पिता अविभाजित मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा में वर्ष 1962 से 1993 तक कार्यरत थे।

2. धारक के द्वारा प्रस्तुत अपने पिता के कोष लेखा पेंशन संबंधित दस्तावेज में पता ग्राम व पोस्ट तुमसर, भंडारा उल्लेखित है।

3. धारक के द्वारा राष्ट्रपति अधिसूचना (अनुसूचित जाति वर्ग) दिनांक 10.08.1950 के पूर्व का पिता/पूर्वजों का ऐसा कोई भी दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो कि धारक के पिता या पूर्वज राष्ट्रपति अधिसूचना (अनुसूचित जाति वर्ग) दिनांक 10.08.1950 के पूर्व मध्यप्रदेश के मूल निवासी थे। जबकि "छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ावर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 के नियम 14 के अंतर्गत एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 1995 सुप्रीमकोर्ट 1506 (डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेयर आंध्रप्रदेश बनाम लावेतीगिरी एवं अन्य) में निर्धारित किया गया है कि अपनी जाति एवं सामाजिक स्थिति को साबित करने हेतु सबूत का भार उस व्यक्ति का है, जो संवैधानिक लाभ प्राप्त किया हो।

संपूर्ण जांच से स्पष्ट है कि धारक के द्वारा अपने पिता और पूर्वजों का ऐसा कोई भी दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके की धारक के पिता या पूर्वज राष्ट्रपति अधिसूचना दिनांक के पूर्व मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिसीमा में निवासरत थे जबकि सबूत का भार धारक पर है। धारक के पिता के कोषलेखा पेंशन संबंधित दस्तावेज में पता ग्राम व पोस्ट तुमसर, भंडारा लिखे होने से भी **यह स्पष्ट होता है कि उनका निवास स्थान तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र है।**

अतः जाति प्रमाण पत्र धारक श्री के. के. कटारे को मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग अंतर्गत आरक्षित वर्ग का लाभ लेने व आरक्षित वर्ग अंतर्गत नौकरी प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती जैसे तथ्यों का उल्लेख है।

5. उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा मान. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थितिक का प्रमाणीकरण विनियमन) अधिनियम, 2013 में विहित प्रावधान अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुपालन में धारक को समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करते हुए समिति के समक्ष दिनांक 19/12/2025 को आहूत किया गया धारक उपस्थित हुए। धारक द्वारा समिति से निवेदन किया है "**शिकायतकर्ता को मेरी जाति खटिक अनुसूचित जाति होने पर संदेह नहीं है केवल मेरे मूल निवास तुमसर, जिला–भंडारा, वर्तमान महाराष्ट्र को लेकर शिकायत है कि मेरे द्वारा महाराष्ट्र राज्य का होते हुए छ.ग./म.प्र. में आरक्षण का लाभ कैसे लिया जा रहा है। मेरे मूल निवास के संबंध में मेरा कथन है कि 01.11.1956 के पूर्व तक निवास तुमसर, जिला–भंडारा, वर्तमान महाराष्ट्र**

म.प्र. राज्य के अंतर्गत शामिल था जिसकी राजधानी नागपुर थी मेरे पिता वर्ष 1953 से बालाघाट में निवास कर नौकरी कर रहे थे। उसी आधार पर वर्ष 1978 में तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) से मैंने जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया था। वर्तमान में मेरी जाति संबंधी जांच म.प्र. में भी चल रही है।"

6. धारक को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करने के अनुक्रम में दिनांक 28/01/2026 एवं 05/02/2026 आहूत किया गया, जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई। धारक को समिति की बैठक दिनांक 23/02/2026 में पुनः आहूत किया गया धारक अनुपस्थित रहे उनके द्वारा उक्त दिनांक को समिति के समक्ष उपस्थित न हो पाने संबंधी सकारण आवेदन पत्र देते हुए आगामी तिथि प्रदाय किये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा प्रकरण में संपूर्ण तथ्यों पर गुण–दोष के आधार पर विचार किया गया और पाया कि आदेश में उल्लेखित बिन्दु क.05 पर धारक द्वारा स्वीकार किया है कि उनका मूल निवास तुमसर जिला भण्डारा, वर्तमान महाराष्ट्र है। उक्त के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ के निर्णय **एक्शन कमेटी इश्यू आफ कास्ट सर्टिफिकेट बनाम भारत संघ SCC1994 SC 244** में पारित आदेश बिन्दु 1–4 तक का अवलोकन महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके अनुसार–

1. संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के तहत विभिन्न राज्यों के लिए जारी अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची अपने राज्य तक ही सीमित है।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी होने के दिनाँक 10.08.1950/06.09.1950 को व्यक्ति जिस राज्य का मूल निवासी था उसी राज्य के लिए उसे अनुसूचित जाति या जनजाति माना जायेगा। अन्य दूसरे राज्यों में नहीं।
3. जिन राज्यों का निर्माण अनुसूचित जाति/जनजाति राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी होने के दिनॉक के बाद का है। उस राज्य के मूल अनुसूचित जाति/जनजाति वे माने जायेंगे जो अनुसूचित जाति/जनजाति नोटिफिकेशन के दिनांक को नये राज्य के भौगोलिक सीमा (में शामिल ग्रामों/कस्बा/शहरों) के मूल निवासी थे।
4. एक राज्य का अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति रोजगार या शिक्षा के उद्देश्य से अन्य राज्य में प्रवर्जित करता है, तो उसे मूल जाति प्रमाण–पत्र व संवैधानिक लाभ दूसरे राज्य में प्राप्त करने की पात्रता नहीं आयेगी ।

अन्वेषण प्रतिवेदन में संलग्न तुमसर, नगर पालिका के **वर्ष अगस्त 1935** का जन्म प्रमाण रजिस्टर की प्रति के अनुसार धारक के **दादा झुकल्या–गोविंदा** का नाम दर्ज है जिसमें उनकी जाति **खटिक इंद्राज है, उक्त दस्तावेज वर्ष 1935 के आधार पर समिति को धारक की जाति खटिक होने संबंधी कोई संदेह नहीं है।**

उपरोक्तानुसार अन्वेषण प्रतिवेदन, संलग्न दस्तावेज एवं समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान जाति प्रमाण पत्र धारक श्री के.के. कटारे के कथन अनुसार उनके पूर्वजों का मूल निवास स्थान संबंधित राष्ट्रपति अधिसूचना दिनांक 06.08.1950 के पूर्व वर्तमान महाराष्ट्र राज्य की भौगोलिक सीमा का होना सिद्ध करता है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ के उपरोक्त निर्णय के अनुसार धारक को संबंधित राष्ट्रपति अधिसूचना दिनांक के पूर्व

महाराष्ट्र राज्य का मूल निवासी होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति के संवैधानिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती है, तथा धारक को वर्ष 1978 में नायब तहसीलदार वारासिवनी, जिला– बालाघाट, मध्यप्रदेश के द्वारा जारी खटिक अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरण में कार्यवाही सुनिश्चित किया जावें।

(डॉ. अनिल विरूलकर)
सदस्य
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं सहा.अनुसंधान अधिकारी, आ.जा. अनु. एवं प्रशि. संस्थान नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

(एम. उइके)
सदस्य
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं सहा.अनुसंधान अधिकारी, आ.जा. अनु. एवं प्रशि. संस्थान नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

(विनीत नंदनवार)
सदस्य
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं संचालक, भू–अभिलेख
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(ऋतुराज रघुवंशी)
सदस्य
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

(हिना अनिमेष नेताम)
सदस्य सचिव
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं संचालक, आ.जा. अनु. एवं प्रशि. संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

(डॉ. सारांश मित्तर)
सदस्य
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जाति विकास, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(सोनमणि बोरा)
अध्यक्ष
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं प्रमुख सचिव, आ.जा. तथा अनु.जाति वि. विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

No. 1135 Date 03/03/26
शाखा
आर.सं.
अन्य
Signature

पृ. क्र. / छास / अजा / 234 / 2025–26 / 684 नवा रायपुर अटल नगर, दिनाँक 26/02/2026

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन,नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
6. कलेक्टर, जिला–बालाघाट, मध्यप्रदेश की ओर कृपया सूचनार्थ।
7. विधि शाखा को केवियेट दायर करने हेतु प्रेषित।
8. श्री के.के. कटारे अधीक्षण अभियंता (प्रभारी मुख्य अभियंता) छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.)।
9. आदेश फाईल।

सदस्य सचिव
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

सत्यापित

सहायक संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)